बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–9/आo–02–10/2026(स्वाo) .... / पटना, दिनांकः–...

डॉo अभिषेक कुन्दन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवसागर, रोहतास के विरूद्ध सिविल सर्जन, रोहतास के पत्रांक–1975 दिनाक–13.06.2026 द्वारा संस्थान में निरीक्षण के दौरान दिनांक–12.06.2026 को नशे के हालत में रहने एव आबकारी विभाग के छापेमारी में सरकारी आवास से शराब की बोतले पाये जाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। सहायक आयुक्त, मद्य निषेध, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–1471 दिनाक–13.06.2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि छापेमारी के दौरान डॉo कुन्दन नशे की हालत मे थे। ब्रेथ एनालईजर जॉच मे अल्कोहल की मात्रा–BAC-361ml/100ml पाया गया है। सरकारी आवास से 4 खाली शराब की बोतल एव 3 शराब की भरी बोतल जब्त किया गया। डॉo कुन्दन के विरूद्ध शराब सेवन करने एव अवैध रूप से शराब का भण्डारण करने के आरोप में उत्पाद थाना काण्ड संo–309/2026 दिनांक–12.06.2026 मद्य निषेध अधिनियम, 2018 की धारा–30(a) के अधीन प्राथमिकी दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा डॉo कुन्दन को दिनाक–13.06.2026 को न्यायिक हिरासत मे काराधीन किया गया है।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(2)(क) के अधीन काराधीन होने के फलस्वरूप गिरफ्तार होने की तिथि से डाo कुन्दन को निलबित किया जाता है।

3. डाo कुन्दन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के तहत निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. डाo कुन्दन द्वारा कारामुक्ति के उपरांत मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग मे योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

5. डाo कुन्दन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु अलग से सकल्प निर्गत की जायेगी।

6. उपरोक्त मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

हo/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आo–02–10/2026(स्वाo) 822(9) / पटना, दिनांकः–30.07.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेo एवं हo) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉo अभिषेक कुन्दन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवसागर, रोहतास को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आईoटीo मैनेजर, स्वाo विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/07/2026

सरकार के अवर सचिव।